न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./55/2015/बाड़मेर

अपीलांट

1. स्व. बींजाराम पुत्र लिछमणाराम के कायम मुकामः–
   1/1स्व. शंकराराम पुत्र स्व. बींजाराम के कायम मुकाम
   1/1/1सन्तु पुत्र स्व. शंकराराम उम्र 40 साल
   1/1/2पपू पुत्र स्व. शंकराराम उम्र 35 साल
   1/1/3ओमाराम पुत्र स्व. शंकराराम उम्र 32 साल
   1/1/4 अमेदाराम पुत्र स्व. शंकराराम उम्र 30 साल
   1/1/5पांचाराम पुत्र स्व. शंकराराम उम्र 28 साल
2. स्व. सोनाराम पुत्र लिछमणाराम के कायम मुकाम
   2/1पनाराम पुत्र स्व. सोनाराम उम्र 60 साल
   2/2मूलाराम पुत्र स्व. सोनाराम उम्र 55 साल
   2/3भगाराम पुत्र स्व. सोनाराम उम्र 50 साल
   2/4तेजाराम पुत्र स्व. सोनाराम उम्र 48 साल
3. अमराराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 80 साल
4. स्व. सेजाराम पुत्र लिछमणाराम उम्र के कायम मुकाम
   4/1वीरमाराम पुत्र स्व. सेजाराम
   4/2रावताराम पुत्र स्व. सेजाराम
   4/3सुखराम पुत्र स्व. सेजाराम
   4/4पालू पत्नी स्व. सेजाराम जाति मेघववाल निवासी रोहिला
5. सोनाराम पुत्र गुमनाराम
6. पोकरराम पुत्र गुमनाराम
7. भारमल पुत्र गुमनाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला तहसील धोरीमन्ना

रेस्पोडेंटगण

बनाम स्व. खमूराम पुत्र हरचंद के कायम मुकामः–
1.श्रीराम पुत्र खमूराम
2.जगराम पुत्र खमूराम
3.छोटी पत्नी स्व. खमूराम
हरदानराम पुत्र स्व.खमूराम के कायम मुकामः–
4.दिनेश पुत्र स्व. लाडूराम पुत्र स्व. हरदानराम
5.रामनिवास पुत्र स्व. लाडूराम पुत्र स्व. हरदानराम
6.परमेश्वरी उर्फ हाउ पत्नी स्व.लाडूराम पुत्र स्व.हरदानराम
7.सिणगारी पत्नी स्व.हरदानराम पुत्र स्व.खमूराम
उतरदाता संख्या 04 दिनेश, उतरदाता संख्या 05 रामनिवास नाबालिग जरीये कुदरती वलिया माता परमेश्वरी उर्फ हाउ पत्नी स्व. लाडूराम जाति विश्नोई निवासी रोहिला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/2018 बअनवान खमूराम बनाम बींजाराम के कायम मुकाम में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री गंगाराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 26.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के मौजा रोहिला खेत खसरा संख्या 281 रकबा 06.19 बीघा में से 0.03 बीघा एवं खसरा संख्या 282 रकबा 79.16 बीघा में से 0.08 बीघा भूमि रास्ता के रूप में उतरदाता के उपयोग हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दौरान मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर दिनांक 01.03.2013 को जो रास्ता हेतु भूमि प्रस्तावित बताई उससे भिन्न एकतरफा एवं विधिक प्रावधानों के खिलाफ मौका रिपोर्ट मय नक्शा पेश किया गया। जिस पर विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के कोई हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2013 आपति की गई जो दिनांक 05.09.2013 को स्वीकार की गई। पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2013 को एकतरफा तैयार करवाई गई जिसमें अपीलाकर्तागण के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही भौतिक रूप से उक्त खेतों का नाम किया जाकर या अवलोकन किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। एकतरफा मौका रिपोर्ट में अपीलकर्ता संख्या 07 भारमलराम के हस्ताक्षर फर्जी करवाये गये है जबकि भारमलराम अपीलकर्ता संख्या 07 अनपढ व्यक्ति है और अंगुष्ठ निशान करता है। प्रकरण को सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर गुड़ामालानी से सहायक कलक्टर धौरीमन्ना स्थानांतरित किया गया इसकी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.09.2015 के लिए नियत की गई थी तथा बीच में दिनांक 15.07.2015 को सुनवाई के लिए रखे जाने हेतु नियमानुसार पक्षकारान को नोटिस देकर सूचना दी जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया। जिस स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश के तहत रास्ता घोषित किया है वह स्थान एकदम खड़े धोरे वाला स्थान है वहां किसी भी तरह से कोई आवागमन हेतु रास्ता भौतिक रूप से नहीं हो सकता है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के दौरान मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर दिनांक 01.03.2013 को जो रास्ता हेतु भूमि प्रस्तावित बताई उससे भिन्न एकतरफा एवं विधिक प्रावधानों के खिलाफ मौका रिपोर्ट मय नक्शा पेश किया गया। जिस पर विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थी संख्या 01 से 04 द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 01.03.2013 आपति की गई जो दिनांक 05.09.2013 को स्वीकार की गई। पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2013 को एकतरफा तैयार करवाई गई जिसमें अपीलाकर्तागण के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही भौतिक रूप से उक्त खेतों का नाम किया जाकर या अवलोकन किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। एकतरफा मौका रिपोर्ट में अपीलकर्ता संख्या 07 भारमलराम के हस्ताक्षर फर्जी करवाये गये है जबकि भारमलराम अपीलकर्ता संख्या 07 अनपढ व्यक्ति है और अंगुष्ठ निशान करता है। प्रकरण को सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर गुड़ामालानी से सहायक कलक्टर धौरीमन्ना स्थानांतरित किया गया इसकी सूचना अपीलांटगण को नहीं दी गई। प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.09.2015 के लिए नियत की गई थी तथा बीच में दिनांक 15.07.2015 को सुनवाई के लिए रखे जाने हेतु नियमानुसार पक्षकारान को नोटिस देकर सूचना दी जानी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया। जिस स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश के तहत रास्ता घोषित किया है वह स्थान एकदम खड़े धोरे वाला स्थान है वहां किसी भी तरह से कोई आवागमन हेतु रास्ता भौतिक रूप से नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 264 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट की आपत्ति कि "निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विपरीत है क्योंकि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया", के संदर्भ में रिकॉर्ड देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 की फौतगी की सूचना तामिल कुनिंदा की रिपोर्ट पर आई लिहाजा उनके कायम मुकाम 1/1 व 1/2 तथा 4/1 से 4/4 रिकॉर्ड पर लिये। रेस्पोडेंट संख्या 4/1 से 4/4 की ओर से श्री रामजीवन विश्नोई ने वकालतनामा दिनांक 08.05.2010 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पेश किया। विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की तरफ से जबाव पेश हुआ जो पत्रावली पर उपलब्ध है। यही नहीं रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 के सम्मन नोटिस 02 मौतबिरान के रूबरू उनके आबाद मकान पर चस्पा होकर सम्यक तामील हुए। रेस्पोडेंट की तरफ से दिनांक 17.04.2013 को जबाव पेश हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 5, 6 व 7 की तरफ से वकील श्री रामजीवन का वकालतनामा पत्रावली पर है। इसका तात्पर्य सभी अपीलांट्स को सम्मन की तम्यक तामीली हुई। मामले में आपति कि "वांछित रास्ते को दिये जाने से खेत दो भागों में विभक्त हो जाएगा– "पर पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। विप्रार्थी संख्या 02 सोनाराम पुत्र लिछामणराम की तरफ से एक प्रार्थना–पत्र (दिनांक 17.04.2013) पेश किया गया जो पत्रावली पर है। विप्रार्थी संख्या 05 से 07 की तरफ से मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2013 के संबंध में आपति दिनांक 17.05.2014 प्रस्तुत हुई, वह भी रिकॉर्ड पर है। इस आपति को स्वीकार कर पुनः रिपोर्ट तलब की गई। **रिकॉर्ड पर रेस्पोडेंट संख्या 4/4 पालू की सम्मन की तामील या उसकी ओर से कोई पैरवी होना नहीं पाया गया। इसलिए उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना लाजमी है।** शेष पक्षकारान के वकीलों की उपस्थिति रही है। पत्रावली 15.07.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट धोरीमन्ना में रखी गई। विप्रार्थीगण उस रोज अनुपस्थित रहे। लिहाजा निर्णय उसी रोज पारित किया गया जिसमें हरे रंग में दर्शित रास्ता A, B, C खेत खसरा संख्या 282 व 281 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे दिया गया है जो निर्णय का अंग नहीं माना जा सकता क्योंकि उस पर पीठासीन अधिकारी के सत्यापन स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है। **इस दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण एवं रेस्पोडेंट संख्या 4/4 पालू के विरूद्ध एकतरफा होने से खारिज योग्य है।** उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में हस्तगत प्रकरण रिमाण्ड योग्य ठहरता है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 64/2018 बअनवान खमूराम बनाम बींजाराम के कायम मुकाम में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि "अपीलांट संख्या 4/4 पालू पत्नी स्व.सेजाराम को सम्यक तामील करवाते हुए उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय (मय नक्शा सत्यापन) दो माह में पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **07.08.2019** को उपस्थित रहे।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner